FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु जिला बाड़मेर

भूराराम वगैरा बनाम धन्नाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व ~~कब्ज~~ आवे. नं. 40 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/02/21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री दामोदाराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RTA Act राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/03/21 को पेश हो। (signature) सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
24/03/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थीगण को नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। चूंकि पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर वास्ते दिनांक 07/06/2021 को पेश हो।	
07/06/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक [illegible]/2021 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:09 IST
Reason: SelfAttested

18/08/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु. न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 18/11/2021 को पेश हो।

18/11/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 16/02/2022 को पेश हो।

16/02/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत मेंढ़ से मेंढ़ लगते हुए हैं। खेतों के मध्य जो पुरानी मार्के व कोरमार्के हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह बिखर गये हैं जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के मेंढ़ों को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के मेंढ़ों का सही ज्ञान करने हेतु पैमाइश करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाइशी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइश आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइशी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पैमाइश [illegible] कायम कर निशान [illegible] शामिल मुलहुज जमा कराकर करें। [illegible] वास्ते [illegible] में प्रस्तुत पत्रावली हो। पत्रावली [illegible] हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1659 दिनांकः– 16/02/2022

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

1. भुराराम पुत्र उदाराम वगैरा 2
जाति कुम्हार, निवासी खींपर
पटवार मण्डल खींपर
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. धन्नाराम पुत्र मानाराम वगैरा 16
जाति भील, निवासी खींपर
पटवार मण्डल खींपर
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 40 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – खींपर, पटवार मण्डल – खींपर , तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 701 / 520, 725 / 576, 728 / 578 रकबा क्रमशः 0.7928, 1.8203, 4.3039 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु
दिनांकः– 16/02/2022

क्रमांक / वाद / 2021 / 1660-64

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का खींपर को भेजकर लेख है कि निर्धारित [illegible] को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री भुराराम पुत्र उदाराम वगैरा 2
4. विप्रार्थी श्री धन्नाराम पुत्र मानाराम वगैरा 16
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु